सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्य (वित्त) मंत्री

वर्ष 2018

विषय सूची

	पृष्ठ
(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	3-10
(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	11-19
(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	20-27

बिहार राजकोषीय नीति विवरण का अवलोकन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की प्रमुख अवधारणा है कि वित्तीय घाटा का वृहद् अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है । निम्न वित्तीय घाटा जहाँ उच्च एवं सतत् आर्थिक विकास के पथ को प्रशस्त करता है वहीं उच्च वित्तीय घाटा मुद्रास्फिती को प्रेरित करता है और साथ ही इससे काफी मात्रा में लोक ऋण का संचयन भी होता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को ऋण जाल की तरफ ले जाता है । इसको ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी, 2006 को बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न वित्तीय अनुशासन को अधिनियमित किया गया-

- वर्ष 2007-08 में राज्य में शून्य राजस्व घाटा या राजस्व अधिशेष हासिल करने के संबंध में राजकोषीय सुधार पथ के लिए 2011-12 तक राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना और उसके बाद उसे उसी स्तर पर बरकरार रखना;

- लागत वसूली एवं इक्विटी (हिस्सेदारी) पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए गैर कर राजस्व में वृद्धि की नीतियों का अनुपालन करना;

- पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देते हुए मानक निर्धारित करना और व्यय संबंधी ऐसी नीतियों का अनुसरण करना जो आर्थिक विकास, गरीबी में कमी तथा मानव विकास में सुधार को गति प्रदान करे ।

राज्य सरकार ने एफ०आर०बी०एम० अधिनियम लागू होने के बाद से कई नीतिगत त्वरित कदम उठाये जो वित्तीय समायोजन और राजकोषीय समेकन को प्रभावित करके एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में कारगर सिद्ध हुआ है । बिहार में एक व्यापक राजकोषीय नीति है जिसमें अर्थव्यवस्था और विवेकपूर्ण वित्त प्रबंधन को ध्यान में रखकर समय-समय पर बदलाव किया जाता रहा है । इस संदर्भ में, केन्द्र सरकार द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनजर, राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का अनुपात वर्ष 2009-10 में 4.00 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 में 3.50 प्रतिशत रखा गया था । वर्ष 2011-12 एवं आगे के वर्षों के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया । चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 9, 2016) के द्वारा

एफ०आर०बी०एम० एक्ट, 2006 में अपेक्षित संशोधन किया गया । अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् है-

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत् किया जाता हैः-

(**I**) राज्य का राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा । राज्य इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका बकाया ऋण- जी०एस०डी०पी० अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होगा ।

(**II**) राज्य उक्त वर्ष में जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ब्याज भुगतान उसके पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जी०एस०डी०पी० का 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होगा ।

(**III**) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन राज्य उपर्युक्त इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदण्ड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदंडों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ। इस प्रकार किसी दिए गए वर्ष में राज्य को अधिकतम राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है ।

(**IV**) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के अधीन अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं नियत की जानी है और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा न हो ।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी विशिष्ट वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के सामान्य राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे केवल अगले वर्ष में इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) को 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2017-18 से 2019-20 के भीतर प्राप्त करने का विकल्प होगा। अनुपयोजित उधार राशि सहित यह राशि जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत तक सीमित होगी ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 को 18 फरवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरणों- (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण, (ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति का विवरण और (ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण को रखेगी ।

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण

1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत अवलोकन-

हाल के वर्षों में बिहार ने विकास की दिशा में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन को लेकर पूरे देश-विदेश का ध्यान आकर्षित किया है । राज्य की आय से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार वर्ष 2005-06 से निरंतर तीव्र गति से आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर है । वर्ष 2000-05 के दौरान अर्थव्यवस्था का विकास दर मात्र 3.4 प्रतिशत था। वर्ष 2005 के बाद राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास हुआ है जिसके फलस्वरूप वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से भी अधिक रही है। इस अवधि में सार्वजनिक निवेश के स्तर में भी वृद्धि हुई है । बिहार राज्य का बजट आकार 23,885 करोड़ रूपये (वर्ष 2004-05) से बढ़कर 1,60,086 करोड़ रूपये (वर्ष 2017-18) हो गया है जो लगभग 7 गुणा है । सार्वजनिक निवेश के अलावे विकास के पैटर्न में भी भारी परिवर्त्तन हुआ जिसमें अधिसंरचनात्मक विकास और सामाजिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने पर काफी बल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2004-05 (77,781 करोड़ रूपये) की तुलना में वर्ष 2016-17 (चालू मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 पर 4,38,030 करोड़ रूपये) में लगभग 6 गुणी बढ़ गयी है ।

बिहार का आर्थिक विकास स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2016-17 में 10.3 प्रतिशत हुआ जबकि राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर मात्र 6.6 प्रतिशत ही रहा है ।

तालिका क. 1: अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्त्तन (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर)

प्रक्षेत्र	जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० (करोड़ रूपये में)		जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० में हिस्सा (प्रतिशत में)	
	2011-12	2016-17	2011-12	2016-17
अखिल भारत				
प्राथमिक	1762851	2026660	21.7	18.1
द्वितीयक	2374017	3155185	29.3	28.2
तृतीयक	3969789	6003596	49.0	53.7
कुल	**8106657**	**11185440**	**100.0**	**100.0**
कुल सकल मूल्यवर्धन (जी०वी०ए०)	**63462**	**82269**	**-**	**-**
बिहार				
प्राथमिक	62265	66645	25.8	21.0
द्वितीयक	45341	57025	18.8	18.0
तृतीयक	134092	193042	55.5	61.0
कुल	**241698**	**316712**	**100.0**	**100.0**
कुल सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जी०एस०वी०ए०)	**21750**	**26693**	**-**	**-**

स्त्रोतः- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

बिहार एवं अखिल भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्त्तन दर्शाया गया है । हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये अनेक नीतिगत कदमों के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्त्तन दर्ज हुआ है । राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक प्रक्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 21.7 प्रतिशत था जबकि इस अवधि में बिहार में इस प्रक्षेत्र का योगदान 25.8 प्रतिशत था । इस प्रक्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2016-17 में दोनों ही स्तर पर घट गया और यह राष्ट्रीय स्तर पर 18.1 प्रतिशत तथा राज्य के स्तर पर 21.0 प्रतिशत हो गया है । यह अर्थव्यवस्था के सुधार को दर्शाता है । जहाँ तक द्वितीयक प्रक्षेत्र का सवाल है, इस प्रक्षेत्र का हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर 28.2 प्रतिशत है जो बिहार में मात्र 18 प्रतिशत आता है तथा इसमें कमी भी हो रही है । इसको बढ़ाने के लिए राज्य में औद्योगिकीकरण एवं निजी निवेश को बढ़ावा देना अति आवश्यक है । पूरे विश्व में सेवा प्रक्षेत्र में अति तीव्र गति से बढ़ोत्तरी दर्ज हो रही है। इस प्रभाव से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा, और वर्ष 2011-12 में 49.0 प्रतिशत की तुलना में इस प्रक्षेत्र का योगदान बढ़कर 53.7 प्रतिशत हो गया । जहाँ तक बिहार

राज्य में सेवा प्रक्षेत्र का सवाल है, अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत (वर्ष 2016-17) से भी अधिक इस प्रक्षेत्र का योगदान है जो 2011-12 में 55.5 प्रतिशत था । बिहार का आर्थिक ढांचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप है । जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक प्रक्षेत्र का हिस्सा बिहार से अधिक है वहीं बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा प्रक्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय स्तर से अधिक है । बिहार की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का वर्ष 2015-16 में मात्र 31.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 32.4 प्रतिशत हो गया है ।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि-

बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में विभिन्न प्रक्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है । तालिका-क 2ः में इसको दर्शाया गया है । बिहार में वर्ष 2005 से आर्थिक विकास की वृद्धि दर दो अंको में दर्ज की गयी है । वर्ष 2005 से वर्ष 2015 तक बिहार की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 10 प्रतिशत रही है । यह वृद्धि दर 2015-16 में 7.5 प्रतिशत था जो बढ़कर 2016-17 में पुनः 10.3 प्रतिशत हो गया है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर 6 से 7 प्रतिशत दर्ज किया गया था । हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2016-17 में बिहार के आर्थिक विकास में विभिन्न प्रक्षेत्रों के योगदान पर नजर डालने से पता चलता है कि 10 प्रतिशत या उससे अधिक विकास दर दर्ज करने वाले ये क्षेत्र संभवतः बिहार के विकास के वाहक हैं । ये प्रक्षेत्र-

(i) लोक प्रशासन (31.4 प्रतिशत),
(ii) व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह (25.1 प्रतिशत),
(iii) वित्तीय सेवाएं (11.4 प्रतिशत) तथा
(iv) परिवहन, भंडारण और संचार (10.2 प्रतिशत) है।

यह सभी प्रक्षेत्र 10 प्रतिशत से अधिक विकास दर वाले सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं । सेवा क्षेत्र का योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत से भी अधिक है । अर्थव्यवस्था में इस वृद्धि की वजह से बिहार की प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2016-17 में 26,693 रूपये हो गयी है जो वर्ष 2011-12 में मात्र 21,750 रूपये थी ।

तालिका क.2

स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न प्रक्षेत्रों का विकास दर

(प्रतिशत में)

क्र0 सं0	क्षेत्र	2015-16		2016-17		2005-06 से 2014-15	
		चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर	चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर	चालू मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर
1	कृषि/वानिकी और मत्स्य	7.3	2.7	14.3	6.9	16.8	6.0
1.1	फसल	6.3	0.8	16.9	8.2	-	-
1.2	पशुधन	10.0	6.0	12.5	6.8	-	-
1.3	वानिकी/काष्ठ उत्पादन	9.9	3.2	9.1	3.2	5.0	-2.0
1.4	मत्स्य एवं जलीय कृषि	4.0	5.6	5.8	0.4	21.0	6.5
2	खनन/प्रस्तर खनन	192.4	177.9	2.5	-5.9	5.0	5.8
	उप योग (प्राथमिक)	**9.3**	**4.4**	**13.9**	6.6	16.1	5.3
3	विनिर्माण	6.8	9.3	0.3	-1.3	13.9	7.0
4	विद्युत/गैस/जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	41.2	-2.6	16.2	6.4	15.9	8.0
5	निर्माण	1.1	-5.4	6.9	-0.1	25.7	16.6
	उप योग (द्वितीयक)	**5.7**	**1.6**	**4.5**	**-0.2**	**21.6**	**13.1**
6	व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	22.4	17.2	30.6	25.1	23.6	13.1
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	23.0	17.8	32.0	26.4	-	-
6.2	होटल एवं रेस्टोरेंट	12.8	8.0	8.5	3.9	-	-
7	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	13.7	12.2	11.5	10.2	16.5	15.1
7.1	(i) रेलवे	6.9	2.2	6.9	2.2	9.6	3.9
7.2	(ii) सड़क परिवहन	12.9	11.7	12.9	11.8	-	-
7.3	(iii) जल परिवहन	-20.6	-21.5	0.0	-1.0	-	-
7.4	(iv) वायु परिवहन	95.0	93.0	42.4	40.9	-	-
7.5	परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं	12.9	11.7	12.9	11.7	-	-
7.6	भंडारण	13.1	8.1	13.0	7.9	19.5	9.4
7.7	प्रसारण से संबंधित सेवाएं	13.9	17.7	10.8	10.8	11.4	25.4
8	वित्तीय सेवाएं	14.3	11.4	14.3	11.4	20.7	17.7
9	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	2.2	0.4	2.9	0.7	20.4	9.7
10	लोक प्रशासन	4.1	-2.2	37.2	31.4	17.7	8.3
11	अन्य सेवाएं	18.0	12.9	14.5	9.6	18.5	8.7
	उप योग (तृतीयक)	**13.9**	**10.1**	**18.7**	**14.5**	**20.6**	**12.0**
जी0एस0डी0पी0/ जी०वी०ए०		**11.2**	**7.5**	**14.8**	**10.3**	**19.5**	**10.5**

स्त्रोतः- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एंव विकास विभाग, बिहार, पटना ।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

बिहार सरकार की प्राथमिकता सदैव न्याय के साथ विकास रहा है । राज्य सरकार ने इस एजेंडा की पूर्ति के लिए अपने सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही नहीं किया है, बल्कि अपने प्रशासन तंत्र का भी सुदृढ़ीकरण किया है और अनेक संस्थागत सुधारों को आरंभ किया है । निवेश के चुनाव में भी बदलाव आया और अधिसंरचना (इनफ्रास्ट्रकचर) तथा सामाजिक सेवा प्रदान प्रणाली (सोशल डिलीवरी सिस्टम) के विकास पर काफी जोर दिया गया है । राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमानी दिखाकर, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करके तथा व्यय की गुणवत्ता तथा इसके परिणामों को भी सुनिश्चित करने के लिहाज से लोक वित्त के प्रबंधन का सर्वोच्च महत्व है ।

3.1 संसाधन संग्रहण-

राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों में कर और गैर-कर राजस्व, पूंजीगत प्राप्तियाँ, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान सम्मिलित है । राज्य सरकार का कुल राजस्व प्राप्ति में 1.77 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज करने के फलस्वरूप वर्ष 2012-13 में मात्र 59,567 करोड़ रूपये की तुलना में बढ़कर वर्ष 2016-17 में 1,05,585 करोड़ रूपये हो गया है । राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा केन्द्रीय कर में राज्य का हिस्सा 47.6 प्रतिशत, राज्य का अपना कर राजस्व 23.3 प्रतिशत, केन्द्रीय अनुदान 26.9 प्रतिशत तथा राज्य का अपना गैर-कर राजस्व 2.1 प्रतिशत रहा है । अतः बिहार में 74.6 प्रतिशत संसाधन केन्द्रीय हस्तांतरण के रूप में मिलता है परंतु वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद राज्य के अपने कर राजस्व में तीव्र वृद्धि का अनुमान है, क्योंकि बिहार उपभोक्ता बहुल राज्य है और वस्तु एवं सेवा कर उपभोक्ता राज्य के लिए लाभप्रद है । इसका कारण यह है कि यह कर गन्तव्य आधारित कर है ।

3.2 व्यय प्रबंधनः-

राज्य के व्यय को कामकाजी वर्गीकरण के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। राज्य का कुल व्यय 1.82 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज करने के फलस्वरूप वर्ष 2016-17 में 1,26,302 करोड़ रुपये हो गया है जो वर्ष 2012-13 में 69,207 करोड़ रुपये था। राजस्व व्यय

में जहाँ 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है वहीं पूंजीगत व्यय में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि सराहनीय है । यह पूंजीगत निवेश आर्थिक विकास को तेजी प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है । इसी प्रकार यदि राज्य की विकासमूलक व्यय पर नजर डालें तो यह 18.9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है । साथ ही गैर विकास मूलक व्यय 15.0 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास हमेशा से राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है । अतः व्यय का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा समाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर खर्च होता है । यह राज्य के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में मदद करेगा। यह बिहार में सीमित संसाधनों के अनुरूप वितरण को दर्शाता है ।

3.3 ऋृण प्रबंधनः-

वर्ष 2000-01 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋृण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से भी अधिक था । अतः राज्य को ऋृण जाल में फंस जाने का गंभीर खतरा मौजूद था जिसमें समस्त नई उधारियाँ भी, विद्यमान ऋृण बोझ तथा ब्याज की अदायगी पर ही खर्च हो जाती । राज्य सरकार की विशेष पहल के द्वारा 2005-06 के बाद से बकाया ऋृण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज किया गया है । यह वर्ष 2012-13 में मात्र 26 प्रतिशत रह गया था । वर्ष 2016-17 में यह अनुपात 25.7 प्रतिशत हो गया है । इसे पुनः कम कर 25 प्रतिशत की सीमा के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है ।

3.4 घाटा प्रबंधन (Deficit Management):-

घाटा प्रबंधन के प्रमुख तीन घटक हैं- राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा । बिहार सरकार ने 2005-06 एवं उसके बाद के वर्षो में घाटा प्रबंधन को अनुशासित रखा है। वर्ष 2005-06 से ही राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के अंदर ही रखा गया है । मात्र वर्ष 2009-10 में यह 3.2 प्रतिशत हो गया था जो उस वर्ष की निर्धारित सीमा 4.0 प्रतिशत के अंदर था । इस दिशा में बिहार राज्य में राजस्व अधिशेष का संग्रह होना, राज्य के आर्थिक विकास में 'मील का पत्थर' साबित हुआ । यह राजस्व आधिक्य पूंजीगत व्यय पर खर्च कर राज्य की भौतिक एवं सामाजिक अधिसंरचना को सुदृढ़ किया गया । जहां तक प्राथमिक घाटा का सवाल है, यह मात्र 1.9 प्रतिशत है। अतः बिहार सरकार ने घाटा का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है।

4. संभावनाएॅ-

बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास का प्रयाय समुचित विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए वित्त व्यवस्था प्रबंधन पर निर्भर करता है । आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरुप विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधनों का सख्ती से आवंटन और सारे सार्वजनिक व्ययों के परिणामों का अनुश्रवण किसी भी सरकार के लिए अनिवार्य कार्य है । व्यय की गुणवत्ता में सुधार करके और अपने स्रोतों से राजस्व बढ़ाकर राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है । अधिसंरचनाओं में निवेश के लिए पूंजीगत परिव्यय लगातार बढ़ाया जाता रहा है जिसके फलस्वरुप बिहार में आर्थिक विकास विगत कई वर्षो से 10 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ी है । सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय में प्रचुर वृद्धि के चलते आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जो अधिकांश सामाजिक आर्थिक सूचकों में भी अभिव्यक्त होता है । गरीबी के परिप्रेक्ष्य में भी सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। जहाँ आज भी 70 प्रतिशत लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर आश्रित हैं । कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र में पिछले वर्ष लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है इसलिए इसकी विकास दर में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है । कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग, सिंचाई का तीव्र विस्तार, उन्नत बीज, कृषि उत्पाद का वाणिज्यीकरण तथा उसको बाजार एवं उद्योग से जोड़ कर इस क्षेत्र में उच्च विकास दर को प्राप्त कर सकते हैं । यह क्षेत्र 70 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है । जहाँ तक सेवा प्रक्षेत्र में संभावनाओं का सवाल है, पिछले वर्ष लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है । यह क्षेत्र बिहार के आर्थिक विकास का प्रमुख वाहक है । जबकि पिछले वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रक्षेत्र का विकास दर लगभग नगण्य रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है । बिहार जैसे कृषि से सम्पन्न राज्य में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग के लिए अपार संभावनाएं है । बिहार पूरे देश में तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। सरकार ने औद्योगिकीकरण की दिशा में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 लागू कर अहम नीतिगत बदलाव किया है । बिहार में पर्यटन तथा सूचना एवं प्रावैद्यिकी प्रक्षेत्र में भी साहसिक एवं सतत् बढ़ावा देने की जरूरत है । यह प्रक्षेत्र बिहार के औद्यौगिक विकास में अतिमहत्वपूर्ण योगदान कर सकता है । सरकार के द्वारा उठाये गये कदम से आने वाले वर्षों में औद्योगिक प्रक्षेत्र में वृद्धि की अपार संभावनाएँ है ।

तालिका क.3ः- प्रमुख राजकोषीय सूचकों का रूझान

(राशि करोड़ रूपए में)

अनु० क्र०	मदें	पूर्व	मदें	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 में परिवर्त्तन (प्रतिशत)	वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में परिवर्त्तन (प्रतिशत)
		2016-17 (वास्तविकी)		2017-18 (बजट अनुमान)	2018-19 (बजट अनुमान)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**105584.99**	राजस्व प्राप्तियाँ	**137158.41**	**158051.41**	29.90	15.23
2	कर राजस्व	**82622.85**	कर राजस्व (क+ख)	**97327.46**	**107174.40**	17.80	10.12
	(क) संधीय करों में राज्य का अंश	58880.59	(क) संधीय करों में राज्य का अंश	65326.34	76172.37	10.95	16.60
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	23742.26	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	32001.12	31002.03	34.79	-3.12
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	**2403.11**	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	**2874.96**	**4445.89**	19.63	54.64
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	**20559.02**	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	**36956.00**	**46431.12**	79.76	25.64
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	**21600.07**	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	**23880.68**	**23203.93**	10.56	-2.83
6	ऋणों की वसूली	23.31	(क) ऋणों की वसूली	18.00	408.50	-22.78	2169.44
	लोक ऋण (7+8)	21576.76	लोक ऋण (7+8)	23862.68	22795.43	10.59	-4.47
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	20065.17	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	21702.61	20520.43	8.16	-5.45
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1511.59	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2160.07	2275.00	42.90	5.32
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	**127185.06**	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	**161039.09**	**181255.34**	26.62	12.55
10	आयोजना भिन्न व्यय	**65461.98**	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	**78818.46**	**84672.62**	20.40	7.43
11	राजस्व खाते पर जिसमें	**61189.34**	राजस्व खाते पर जिसमें	**73951.79**	**77003.35**	20.86	4.13
12	(क) ब्याज भुगतान	8190.66	(क) ब्याज भुगतान	9591.35	10763.49	17.10	12.22
12	(ख) पेंशन	12507.99	(ख) पेंशन	19877.63	15828.81	58.92	-20.37
12	(ग) वेतन	15097.27	(ग) वेतन	18009.89	20232.37	19.29	12.34
13	पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	**4272.64**	पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	**4866.68**	**7669.28**	13.90	57.59
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	3460.49	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	3846.25	6302.49	11.15	63.86
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	754.08	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	951.03	1023.93	26.12	7.67
	(ग) पूंजीगत व्यय	16.50	(ग) पूंजीगत व्यय	23.89	35.38	44.79	48.10
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	41.57	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	45.51	307.48	9.48	575.63
14	आयोजना व्यय	**60840.04**	स्कीम व्यय	**81267.23**	**92317.65**	33.58	13.60
	(क) राज्य योजना	**60721.64**	(क) वार्षिक स्कीम	**80891.61**	**91794.73**	33.22	13.48
	(ख) के.प्र.यो.+के.यो.यो.	118.40	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	375.62	522.92	217.25	39.22
15	राजस्व खाते पर	33575.83	राजस्व खाते पर	48651.03	59736.32	44.90	22.79
16	पूंजीगत खाते पर	27264.20	पूंजीगत खाते पर	32616.20	32581.33	19.63	-0.11
17	कुल व्यय (10+14)	**126302.02**	कुल व्यय (10+14)	**160085.69**	**176990.27**	26.75	10.56
18	राजस्व व्यय (11+15)	94765.17	राजस्व व्यय (11+15)	122602.82	136739.67	29.38	11.53
19	पूंजीगत व्यय (13+16)	31536.84	पूंजीगत व्यय (13+16)	37482.88	40250.61	18.85	7.38
20	राजस्व घाटा (18-1)	-10819.82	राजस्व घाटा (18-1)	-14555.59	-21311.74	34.53	46.42
21	राजस्व घाटा (18-1) (बगैर उदय पॉवर बॉण्ड)	-13151.60	राजकोषीय घाटा **{17-(1+6+13क+13ख)}**	18112.00	11203.94	-237.72	-38.14
22	राजकोषीय घाटा **{17-(1+6+13क+13ख)}** (बगैर उदय पॉवर बॉण्ड)	14147.37	प्राथमिक घाटा (21-12क)	8520.65	440.45	-39.77	-94.83
23	राजकोषीय घाटा **{17-(1+6+13क+13ख)}**	16479.15	जी.एस.डी.पी.	**632180.00**	**515634.00**	3736.24	-18.44
24	प्राथमिक घाटा (23-12क)	8288.49	राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	2.87%	2.17%	-100.00	-24.16
25	जी.एस.डी.पी.	**540556.00**	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	6.99%	6.81%	-100.00	-2.61
26	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी. (बगैर उदय पॉवर बॉण्ड)	2.62%					
27	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	7.76%					

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणः-

योजना आयोग के परिसमापन, राज्यों को अधिक मात्रा में (विशिष्ट योजनागत स्कीमों से अनिबद्ध) अंतरण के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन और केंद्र प्रायोजित स्कीमों की संख्या में भारी कमी के बाद देश में वित्तीय संबंध का संघीय ढांचा पुनर्निर्धारित हुआ है और देश में नया वित्तीय स्थायित्व निर्मित हुआ है । अन्य सभी राज्यों की तरह बिहार की राजकोषीय नीति पर भी इन परिवर्तनों का असर हुआ है । बिहार सरकार अपनी राजकोषीय नीति को अर्थव्यवस्था की जरुरतों और वित्तीय विवेक के अनुरुप समय-समय पर बदल देती है । राज्य की राजकोषीय नीति राजस्व अधिशेष निर्मित करने, राजकोषीय घाटा को रोकने और अधिशेष का उपयोग भविष्य में राज्य की आय बढ़ाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में उन्मुख है । इसका फोकस ऋृण स्तर को नीचे रखना भी है ।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में बिहार ने 2006 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम लागू किया था जिसके जरिए उसने (क) 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और उसके बाद से पर्याप्त राजस्व अधिशेष कायम करने, (ख) 2008-09 तक सकल राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाने, (ग) बकाया ऋृण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 28 प्रतिशत के स्तर से नीचे लाने और (घ) पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के मानक तैयार करने तथा आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानव विकास को बल देने वाली व्यय संबंधी नीतियों का अनुपालन करने के लिए खुद को संकल्पबद्ध किया था । इन संकल्पों का अधिकांशतः पालन किया गया है । हालांकि, सकल राजकोषीय घाटा को अधिनियम द्वारा विहित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित रखने के कारण अधिक उधारी लेने और अतिरिक्त उधारियों का पूंजीगत परिसंपत्तियों में निवेश करने की गुंजाइश सामान्यतः सीमित हो गई है ।

राज्य सरकार द्वारा राजस्व घाटा 2004-05 में ही समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद से सभी वर्षो में प्रचुर राजस्व अधिशेष सृजित होता रहा है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में राज्य की राजस्व प्राप्ति 1,58,051 करोड़ रु0 और राजस्व व्यय 1,36,739 करोड़ रु0 अनुमानित है जिससे राजस्व लेखे में 21,312 करोड़ रु0 का राजस्व अधिशेष होगा । सकल राजकोषीय घाटा 11,204 करोड़ रु0 अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.17 प्रतिशत के बराबर होगा। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा विहित 3 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत है । वर्ष

2018-19 में 21,312 करोड़ रु0 के राजस्व अधिशेष से काफी अधिक पूंजीगत परिव्यय का वित्तपोषण होगा । वर्ष 2018-19 के अंत तक बकाया ऋृण 1,37,900.82 करोड़ रु0 होना अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 26.74 प्रतिशत के बराबर होगा । राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अधिदेशित विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के पथ पर सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है । इस राजकोषीय नीति से राज्य की सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया है । भौतिक अधिसंरचना के निर्माण के साथ-साथ सामाजिक अधिसंरचना को भी मजबूत किया जा रहा है । राजकोषीय नीति का फोकस सार्वजनिक सेवाप्रदान के मानक में सुधार लाना है। पिछले कई वर्षो से राज्य सरकार ने लोक वित्त के प्रबंधन में बेहतर राजकोषीय अनुशासन दिखाया है । व्यय का न्यायोचित वितरण, राजस्व के टिकाउपन में वृद्धि, निम्न प्राथमिकता वाले ऋृणों में कमी और अधिसंरचना में अतिवांछित निवेश में वृद्धि इसका समुचित उदाहरण है । ऐसे विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप गत दशक में आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी रही है । गरीबी में 20 प्रतिशत से भी अधिक गिरावट आई है । साक्षरता 15 प्रतिशत बढ़ी है और कृषि क्षेत्र भी 4 प्रतिशत से अधिक वार्षिक दर से विकसित हुआ है । इसी से राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांतों से बिना कोई समझौता किए विकासमूलक व्यय का उच्च स्तर बनाए रखने में सक्षम रही है ।

तालिका ख.1: राजकोषीय संकेतक-परिवर्त्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ रू० में)

क्र0 सं0	मद	वास्तविकी	वास्तविकी	वास्तविकी	बजट अनुमान	लक्ष्य		
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	सकल घरेलू उत्पाद	402282.99	487316.00	540556.00	632180.00	515634.00	570084.95	630285.92
2	राजस्व बचत	5847.56	12507.16	10819.82	14555.59	21311.74	22377.33	23496.19
3	राजकोषीय घाटा	11178.49	12061.58	14147.37	18112.00	11203.95	17102.55	18908.58
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	74570.47	88828.63	106190.81	125256.21	137900.82	155003.37	173911.95
5	कर राजस्व	57713.29	74371.86	82622.85	97327.46	107174.40	118020.45	129964.12
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	1.45	2.57	2.00	2.30	4.13	3.93	3.73
7	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा	2.78	2.48	2.62	2.87	2.17	3.00	3.00
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	14.35	15.26	15.28	15.40	20.78	20.70	20.62
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	18.54	18.23	19.64	19.81	26.74	27.19	27.59

स्त्रोतः- जी०एस०डी०पी० हेतु ।

वर्ष	विभाग/मंत्रालय	पत्रांक	दिनांक
2014-15	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)05/2012/1621	12/11/2015
2015-16	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाईनांस डिविजन-I)	40(6)पी0एफ0/2009 वोल्यूम-II	16/04/2015
2016-17	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (प्लान फाईनांस डिविजन-I)	40(6)पी0एफ0/2009 वोल्यूम-II	29/03/2016
2017-18	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)05/2012/2002	14/11/2016
2018-19	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा०आ०(वि०)-04/2016-1767	01/11/2017
2019-20 2020-21	वर्ष 2018-19 के आंकड़ों पर 10.56 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष वृद्धि पूर्व वर्षों के वृद्धि अनुमान पर		

नोटः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लोक ऋण के वास्तविकी पर वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में जो ऋण प्राप्ति दिखायी गयी है उसमें से ऋण वापसी को घटाकर जो राशि होगी वह मानी गयी है। वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक लोक ऋण वर्ष के अन्त में अवशेष राशि के लिए वर्ष 2017-18 में जो राशि अवशेष होगी उसमें राजकोषीय घाटे के लिए कर्णांकित राशि को शामिल कर लोक ऋण का वर्ष के अन्त में अवशेष माना गया है।

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

(1) **राजस्व प्राप्तियाँ :-**

(क) **<u>कर राजस्व</u>** - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 76,172.37 करोड़ रूपए अनुमानित है जो कि भारत सरकार के बजट अनुमान के आधार पर है । वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 31,002.03 करोड़ रूपए है जिसमें वाणिज्यकर विभाग से 23,302.00 करोड़ रूपये, निबंधन विभाग से 4,700.00 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग से 2,000.00 करोड़ रूपये एवं भू-राजस्व विभाग से 1,000.00 करोड़ रूपये का संग्रहण किया जायेगा ।

(ख) **<u>करेत्तर राजस्व</u>** - वर्ष 2018-19 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 4,445.89 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें मुख्यतः खनन एवं भूतत्व मद से 1,600.00 करोड़ रूपये, ब्याज प्राप्ति मद में 2,187.39 करोड़ रूपये एवं 200.00 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि प्राप्त होनी है ।

(ग) **<u>कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा</u>** - कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2017-18 (पुनरीक्षित अनुमान) में 32001.12 करोड़ रूपये अनुमानित है और 2018-19 में 31002.03 करोड़ रूपये प्राप्त होना अनुमानित किया गया है । कर राजस्व प्राप्ति में वर्ष 2017-18 (पुनरीक्षित अनुमान) में राज्य के कर राजस्व का हिस्सा 32.96 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2018-19 में 28.92 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है ।

(घ) **<u>करेत्तर राजस्व</u>** - वर्ष 2018-19 में करेत्तर राजस्व 4,445.89 करोड़ रूपए होने की संभावना है जो वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान 2,855.40 करोड़ रूपये से 1,590.49 करोड़ रूपये अधिक है ।

(2) **पूंजीगत प्राप्तियाँ :-**

वर्ष 2018-19 में पूंजीगत प्राप्तियां 23,203.93 करोड़ रूपए होने की संभावना है जो वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान 21,056.28 करोड़ रूपये से 2,147. 65 करोड़ रूपये अधिक है ।

वर्ष 2018-19 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी-

(क) **केन्द्र से उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2018-19 में केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम के मद में 2,275.00 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं हेतु है ।

(ख) **बाजार ऋण** - वर्ष 2018-19 में बाजार ऋण के अंतर्गत 18,344.36 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है । बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से की जाती है ।

(ग) **वित्तीय संस्थानों से उधार** - वर्ष 2018-19 में नाबार्ड से 2100.00 करोड़ रूपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर प्राप्त होता जाता है । यह ऋण का सबसे सस्ता स्रोत है ।

(घ) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** - 31 मार्च 2017 तक राज्य का 20,948.29 करोड़ रूपये उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग (15,520.91 करोड़ रूपए) ऊर्जा प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उधार पर बकाया है । वर्ष 2018-19 में ऋणों की वसूली अन्तर्गत 408.50 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

(ङ) **बकाया दायित्व - लोक ऋण तथा अन्य दायित्व** - वर्ष 2016-17 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2017 की समाप्ति पर लोक ऋण 1,06,190. 81 करोड़ रूपये है । राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशगियाँ) 32,530. 69 करोड़ रूपये के हैं। इन दोनों को शामिल करने के उपरांत कुल बकाया दायित्व 1,38,721.50 करोड़ रूपये का है ।

तालिका ख.2: राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(राशि करोड़ रूपये में)

अनु0 क्र.	प्रवर्ग	वर्ष 1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति			वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
			पूर्ववत्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववत्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववत्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
			2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	आन्तरिक ऋण										
(i)	बाजार उधार	48184.18	17700.00	16672.66	18344.36	895.04	1092.21	3397.14	48184.17	63764.62	78711.84
(ii)	एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	24931.54	0.00	0.00	0.00	1713.12	1768.75	1819.02	24931.54	23162.79	21343.77
(ii)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	5293.69	1587.91	2100.00	2100.00	852.31	950.97	1062.96	5293.69	6442.72	7479.76
(iv)	बन्ध पत्र	1573.46	777.26	0.00	0.00	0.02	2.10	2.10	1573.46	1571.36	1569.26
(v)	अन्य ऋण	7.45	0.00	105.55	76.07	0.00	32.22	21.27	7.45	80.78	135.58
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आन्तरिक ऋण	79990.32	20065.17	18878.21	20520.43	3460.49	3846.25	6302.49	96595.00	111626.96	125844.90
2	केन्द्र से ऋण	8838.3	1511.59	2160.07	2275.00	754.08	951.03	1023.93	9595.81	10804.85	12055.92
	कुल लोक ऋण	**88828.62**	**21576.76**	**21038.28**	**22795.43**	**4214.57**	**4797.28**	**7326.42**	**106190.81**	**122431.81**	**137900.82**
3	लोक लेखा (अल्पबचत, भविष्य निधि इत्यादि)	27748.98	51268.43	29677.48	27702.15	46486.72	31927.48	27702.15	32530.69	30280.69	30280.69
योग		**116577.60**	**72845.19**	**50715.76**	**50497.58**	**50701.29**	**36724.76**	**35028.57**	**138721.50**	**152712.50**	**168181.51**

(3) <u>कुल व्यय</u> :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है । राजस्व लेखे में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम व्यय को सम्मिलित किया जाता है । वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान अनुसार स्कीम व्यय के राजस्व व्यय 59,736.32 करोड़ रूपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय 77,003.35 करोड़ रूपए अनुमानित है ।

(क) **राजस्व लेखा** - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान शामिल है ।

(i) वेतन - वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के वेतन मद में 20,232.37 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है । इसके अतिरिक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से वेतन लोक उपक्रम एवं अन्य संस्थाओं में कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि 7,483.90 करोड़ रूपये

जिसमें विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन एवं पेंशन मद में सहायक अनुदान के रूप में 4,406.28 करोड़ रूपये भुगतान अनुमानित है ।

(ii) ब्याज भुगतान - वर्ष 2018-19 में 10,763.49 करोड़ रूपये का भुगतान अनुमानित है ।

(iii) पेंशन - पेंशन मद में वर्ष 2018-19 में 15,828.81 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) **पूंजीगत लेखा** - पूंजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है ।

(i) पूँजीगत परिव्यय - राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है । वर्ष 2018-19 में पूंजीगत परिव्यय 32,416.87 करोड़ रूपये में वार्षिक स्कीम मद में 32,381.49 करोड़ रूपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 35.38 करोड़ रूपये व्यय का अनुमान है ।

(ii) लोक ऋण - वर्ष 2018-19 में लोक ऋण में 7,326.41 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें राज्य के आंतरिक ऋण के विरूद्ध 6,302.49 करोड़ रूपए की राशि और केन्द्र सरकार से लिए गए कर्ज तथा अग्रिम के मद में 1,023.93 करोड़ रूपए का व्यय अनुमान है ।

(iii) उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2018-19 में उधार तथा अग्रिम मद में 507.32 करोड़ रूपया अनुमानित है जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 307.48 करोड़ रूपये और वार्षिक स्कीम मद में 199.84 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(4) **राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) :**

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र सं० 1767 दिनांक-01.11.2017 के आलोक में वर्ष 2018-19 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 पर 5,15,634.00 करोड़ रूपये अनुमानित है । वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा ऋण अधिसीमा की जो सूचना प्रेषित की गयी

है उसमें राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4,66,365.00 करोड़ रूपये का माना गया है । वर्ष 2016-17 की वास्तविकी में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 5,40,556.00 करोड़ रूपये अनुमानित है जो कि भारत सरकार द्वारा ऋण अधिसीमा की सूचना के आधार पर है ।

(5) **संवहनीयता का निर्धारण :**

(i) **<u>सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन</u>** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो । वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 28.54 प्रतिशत है तथा वर्ष 2018-19 में इसके 30.65 प्रतिशत रहने की संभावना है । वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 6.86 प्रतिशत है और यह वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 6.01 प्रतिशत रहने की संभावना है । वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 13.95 प्रतिशत है और यह वर्ष 2018-19 बजट अनुमान में 14.77 प्रतिशत संभावित है ।

वर्ष 2017-18 पुनरीक्षित अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 7.21 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 6.81 प्रतिशत हो जाने की संभावना है ।

वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 32.74 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार 32.61 प्रतिशत रहने की संभावना है ।

(ii) **<u>स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान</u>** - वेतन मद में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 18,235.18 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 20,232.37 करोड़ रूपये दिया जाना अनुमानित किया गया है । पेंशन मद में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित

अनुमान के अनुसार 19,877.68 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 15,828.81 करोड़ रूपये दिया जाना अनुमानित है ।

राज्य द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है । ब्याज मद में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 9,591.77 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2018-19 में 10,763.49 करोड़ रूपये दिया जाना अनुमानित है ।

(iii) **पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग** - राज्य के द्वारा राजस्व बचत की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार राजस्व बचत की स्थिति बनाये रखी गई है । सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है । आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

(iv) **आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना** - वर्ष 2018-19 में पेंशन मद में 15,828.81 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2018-19 से आगे के वर्षों के लिए 9 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है ।

तालिका ख.3: अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

वर्ष	राशि करोड़ रूपये में
2018-19	15828.81
2019-20	17253.40
2020-21	18806.21
2021-22	20498.77
2022-23	22343.66
2023-24	24354.59
2024-25	26546.50
2025-26	28935.68
2026-27	31539.90
2027-28	34378.49

(ग) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरणः-

(1) **<u>राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार</u>** :- राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी । इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है । पूर्व वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है ।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 15.23 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में -3.12 प्रतिशत कमी अनुमानित है । करेत्तर राजस्व में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में 54.64 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।

राज्य का राजस्व बचत वर्ष 2017-18 (बजट अनुमान) 14,555.59 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2018-19 में 21,311.74 करोड़ रूपए अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 (बजट अनुमान) 18,112.00 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2018-19 में 11,203.95 करोड़ रूपए अनुमानित है । यह राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 के (बजट अनुमान) राज्य सकल घरेलू उत्पाद 6,32,180.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2004-05) का 2.87 प्रतिशत है, वर्ष 2018-19 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 5,15,634.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011-12) का 2.17 प्रतिशत है जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अन्तर्गत है ।

(2) <u>आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति</u> :- चूंकि भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम 2017-18 में लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी बिहार राज्य में जी०एस०टी० अधिनियम को राज्य के विधान मंडल से पारित करा कर लागू किया गया है ।

(अ) **व्यय नीति** :- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक स्कीम व्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में लागू किए गए कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार है :-

(क) परिणाम बजट :- सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शानि वाली विवरणी ''परिणाम बजट'' की पहल वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी । इसी क्रम में वर्ष 2018-19 के लिए परिणाम बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जेण्डर बजट :- महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वर्ष 2018-19 हेतु भी जेण्डर बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) बाल कल्याण बजट:- राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का अनुपात महत्वपूर्ण है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है । बाल कल्याण बजट के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा अंकित होता है । बाल कल्याण बजट वर्ष 2013-14 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वर्ष 2018-19 हेतु भी बाल कल्याण बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(घ) **उपलब्धि प्रतिवेदनः**- वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गयी है । उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत कराया जाता है । वर्ष 2017-18 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(3) <u>ऋण एवं आकस्मिक दायित्व</u>: वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है । इसके परिणामस्वरुप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है । आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निक्षेप निधि का गठन किया गया है । 31 मार्च 2017 तक इस निक्षेप निधि में ब्याज सहित जमा राशि 4,165.33 करोड़ रूपये की है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है-

तालिका ग.1: निक्षेप निधि विवरणी

(राशि करोड़ रूपये में)

मद	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष 2016-17 में निक्षेप निधि में निवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2017 को अवशेष
निक्षेप निधि	**3457.64**	**582.89**	**124.81**	**4165.33**

(4) <u>आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँः</u>

(I) सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू किया गया है जिसके तहत बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **''आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार''** अन्तर्गत राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

- **''आर्थिक हल, युवाओं को बल''** अन्तर्गत स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को कारगर एवं प्रभावी बनाने के लिए बिहार शिक्षा वित्त निगम का गठन तथा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

- **''हर घर बिजली''** अन्तर्गत दिसम्बर 2018 तक सभी घरों को बिजली मुहैया कराने के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी।

- ''**हर घर नल का जल**'' अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जायेगा।

- **''घर तक पक्की गली-नालियाँ**'' अन्तर्गत राज्य के सभी सम्पर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने तथा सभी गाँव एवं शहरों में गली-नाली का निर्माण कराने हेतु विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **''शौचालय निर्माण, घर का सम्मान''** अन्तर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं शौचालय निर्माण स्कीम का जोर-शोर से क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

- **''अवसर बढ़े, आगे पढ़ें''** अन्तर्गत राज्य में उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नये अभियंत्रण महाविद्यालय/मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, जी०एन०एम०/ए०एन०एम० स्कूल की स्थापना, पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

(II) GeM Portal से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति

लोक अधिप्राप्ति से सम्बन्धित मामलों में दक्षता, मित्तव्ययिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक दर एवं पारदर्शिता लाने तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष एवं लोक अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Gem Portal से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । Gem Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति सभी विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा आवश्यक निदेश दिये गये है । वित्त विभाग द्वारा राज्य में अवस्थित स्थानीय विक्रेताओं/सेवा प्रदात्ताओं को भारत सरकार के Online Portal Government e-Market Place (GeM) में निबंधन कराने के लिए प्रेरित किये जाने हेतु वाणिज्य-कर विभाग, उद्योग विभाग, Bihar Industries Association एवं Bihar Chamber of Commerce & Industries से अनुरोध किया गया है ।

CFMS लागू होने एवं CFMS का PFMS से Integration होने तक Gem Portal के माध्यम से खरीदारी के लिए State GeM Pool Account (SGPA) खोले जाने हेतु विभिन्न बैकों से प्राप्त प्रस्ताव में से आई०सी०आई०सी०आई० बैंक का चयन करते हुये राज्य सरकार एवं आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के बीच Memorandum of Understanding (MoU) किये जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

(III) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता भत्ता, छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क साईकिल, विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, पोशाक एवं पठन-पाठन सामग्री, छात्रवृत्ति देने से संबंधित विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही है ।

भारत सरकार के केन्द्र प्रायोजित स्कीम (CSS) के तहत विभिन्न विभागों में कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही है । इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को प्राप्त होने वाली राशि उनके बैंक खाते में अंतरण किया जाना अपेक्षित है । ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है कि सभी चिन्हित लाभुकों का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस हो । मंत्रिपरिषद् द्वारा केन्द्रीकृत लाभार्थी डाटावेस Central Beneficiary Database (CBD)

तैयार करने हेतु सहमति दी गई है । इस योजना को e-Labharathi योजना के रुप में नामित किया गया है।

इस Central Beneficiary Database (CBD) में लाभार्थियों का मोबाईल नं०, ई-मेल पता, आधार संख्या तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी रखी जा रही है । ई-लाभार्थी मास्टर डाटाबेस को विभिन्न वाह्य प्रणालियों से जोड़ा जा रहा है । जैसे-BPL List, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना एवं बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणाली आदि । इन आंकड़ों की मदद से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि सीधे भेजी जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो रही है । इस प्रकार जन-धन योजना के तहत खोले गए नये बैंक खातों का उपयोग भी हो रहा है और जहॉ बैंक खाता उपलब्ध नही है, वहॉ बैंक खाता खोलने में भी मदद मिल रही है । सभी लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सामाजिक-आर्थिक जनगणना एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उपलब्ध है, को एकीकृत कर उन्हें लाभार्थियों के बैंक खाता से जोड़कर एक समेकित केन्द्रीकृत लाभार्थी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ।

इस e-Labharathi योजना का सबसे अच्छा उपयोग समाज कल्याण विभाग में किया जा रहा है ।

भारत सरकार के मत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत कार्यरत डी०बी०टी० मिशन के दिशानिर्देश पर राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में DBT Advisory Board का गठन एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्त विभाग में डी०बी०टी० सेल का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना एव प्रावैधिकी विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य हैं । बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभान्वितों को सब्सिडी/छात्रवृति इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में

उपलब्ध कराने हेतु दिनांक-31.03.2018 तक उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने की अवधि का विस्तार किया गया है ।

डी०बी०टी० सेल अंतर्गत एक Project Monitoring Unit बनाने हेतु World Bank से सहायता लिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है ।

राज्य में चल रही केन्द्रीय तथा राज्य स्कीमों में हो रहे कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु तैयार किये गये Portal में जिन विभागों द्वारा स्कीमवार प्रविष्टी करायी गयी है, उसके अनुसार वर्तमान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल लाभुकों की संख्या लगभग 3 करोड़ 6 लाख है, जिसमें सिर्फ लगभग 48 लाख लाभुकों को आधार संख्या से जोड़ा गया है, जो कुल लाभुकों की संख्या का मात्र 16 प्रतिशत है ।

(IV) CFMS-समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

लोक वित्त प्रबंधन में दक्षता, कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा CTMIS-Comprehensive Treasury Management Information System के बदले में एक नया सॉफ्टवेयर CFMS-Comprehensive Financial Management System समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित किया जा रहा है । इसमें नयी अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए पूर्व की खामियों को दूर करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है । राज्य वित्त के प्रभावी प्रशासन एवं प्रबंधन में इससे मदद मिलेगी ।

CFMS लागू करने का उद्देश्य है-

- सरल एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन एवं अनुशासन कायम करना,
- अर्थोपाय अग्रिम, ॠण एवं निवेश प्रबंधन का अनुश्रवण करना,
- प्रभावी बजट प्रबंधन कायम करना,
- राजस्व व पूंजीगत प्रबंधन कायम करना,
- वास्तविक समय आधारित निर्णय सहायक प्रणाली स्थापित करना,
- राज्य सरकार के वित्तीय मामलों के रूझान एवं भावी प्रक्षेपण (Projection) का अध्ययन करना ।

वर्त्तमान में CFMS सॉफ्टवेयर के विकास के क्रम में विभिन्न मॉडयूल्स के Testing का कार्य किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में फेजवार इसे पूरे राज्य में लागू किया जायगा। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और शीघ्र ही राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों, कोषागार पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा ।

(V) राजकोषीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय, व्यय एवं राजस्व के संग्रहण से संबंधित है । सरकार की प्राथमिकता करों के आधार को बढ़ाना और अधिक से अधिक कर संग्रहित हो यह सुनिश्चित करना है ।

(VI) वार्षिक स्कीम का व्यय बढ़ाना, जिससे विकासात्मक कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा सके ।

(5) **नीति परिवर्तन के मूल आधार :**

(i) राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करना है ।

(ii) कृषि के विकास की दर में वृद्धि बनी रहे इस हेतु तृतीय कृषि रोडमैप 2017-22 तैयार कर लागू किया जा रहा है ।

(iii) करों की दरों में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी ।

(6) <u>**नीति मूल्यांकन**</u> : बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2016-17 की वास्तविकी, वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

****

(c) Copyright 2018 Finance Department, Govt. Of Bihar

PRINTED AT SARASWATI PRESS LTD. (GOVT. OF WESTBENGAL ENTERPRISE), KOLKATA 700056